

**कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन  
(अग्रणी महाविद्यालय—जिला उज्जैन)  
(राष्ट्रीय स्तर पर नेक "A" ग्रेड प्राप्त)**

क्रमांक / 111 / 2024

उज्जैन, दिनांक : 19.01.2024

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम हेतु अतिथि विद्वान के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित

सत्र 2023–24 में महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित एम.कॉम. पाठ्यक्रम में व्याख्यान हेतु अतिथि विद्वानों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अवधि में आमंत्रित किये जाते हैं। अतिथि विद्वानों की चयन प्रक्रिया तथा अर्हता मध्यप्रदेश शासन उच्चशिक्षा विभाग द्वारा 2019–20 के लिए घोषित नियमों के अंतर्गत रहेगी।

क्रमांक	विषय	संख्या	मानदेय
1	वाणिज्य	1	21000

योग्यता व शर्त :-

1. कार्यालय, आयुक्त उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के द्वारा सत्र 2023–24 के लिये अतिथि विद्वानों के निर्धारित एवं प्रचलित मानदण्डों के आधार पर चयन किया जावेगा।
2. वाणिज्य विषय हेतु केवल वे ही आवेदक आवेदक करें जो शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने वाले हों।
3. अनुभवी प्रत्याशी और वे प्रत्याशी जिन्होंने नेट/स्लेट/पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी हैं, को राज्य शासन द्वारा अतिथि विद्वानों के चयन के लिये निर्धारित अधिभार दिया जावेगा।
4. अतिथि विद्वान को हिन्दी माध्यम के साथ ही अंग्रेजी माध्यम से व्याख्यान कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त आमंत्रण व्यवस्था समाप्त कर दी जावेगी।
5. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन से 15 दिवस तक की होगी। अपूर्ण एवं समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति तथा राज्य शासन को पदों में कटोती करने तथा चयन प्रक्रिया निरस्त करने एवं मानदेय के पुनरीक्षण का समस्त वैधानिक अधिकार है।
7. यदि जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शासन स्तर से नियुक्त किये जाने के कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तो यह विज्ञप्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. यह आमंत्रण नितांत अस्थायी है, इस आमंत्रण के आधार पर आप अपने स्थाईकरण हेतु न्यायालय या अन्य एजेन्सियों में नहीं जा सकेंगे इस आधार पर ही आवेदन करें।
9. आवश्यकता न होने पर बिना सूचना के आपका आमंत्रण समाप्त माना जावेगा।
10. आमंत्रित अतिथि विद्वान स्थापना के अंग नहीं माने जावेंगे।
11. आमंत्रित अतिथि विद्वान को प्रतिमाह 21000/- देय होगा।

विभागाध्यक्ष—वाणिज्य संकाय

प्राचार्य/सचिव

BRING UP समिति

जनभागीदारी समिति  
शा. कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन

**कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय उज्जैन**  
**(अग्रणी महाविद्यालय—जिला उज्जैन)**  
**(राष्ट्रीय स्तर पर नेक "A" ग्रेड प्राप्त)**

क्रमांक / 111 / 2024

उज्जैन, दिनांक : 19.01.2024

स्ववित्तीय पाठ्यक्रम हेतु अतिथि विद्वान के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित

सत्र 2023–24 में महाविद्यालय में स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित एम.कॉम. पाठ्यक्रम में व्याख्यान हेतु अतिथि विद्वानों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अवधि में आमंत्रित किये जाते हैं। अतिथि विद्वानों की चयन प्रक्रिया तथा अर्हता मध्यप्रदेश शासन उच्चशिक्षा विभाग द्वारा 2019–20 के लिए घोषित नियमों के अंतर्गत रहेगी।

क्रमांक	विषय	संख्या	मानदेय
1	वाणिज्य	1	21000

योग्यता व शर्तो :— कार्यालय, आयुक्त उच्चशिक्षा विभाग, म.प्र. भासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के द्वारा सत्र 2023–24 के लिये अतिथि विद्वानों के निर्धारित एवं प्रचलित मानदण्डों के आधार पर चयन किया जावेगा। आवेदन पत्र प्रकाशन दिनांक के 15 दिवस तक महाविद्यालय में स्वीकार किये जाएंगे।

योग्यता व शर्तो की विस्तृत जानकारी निम्न वेबसाईट व महाविद्यालय प्रशासन से प्राप्त की जा सकती है –

<https://highereducation.mp.gov.in/Uploaded%20Document/notifications/20012024020545IMG-20240120-WA0029.jpg>

विभागाध्यक्ष—वाणिज्य संकाय

प्राचार्य सचिव  
PRINCIPAL  
जनभागीकरण समिति  
Govt. Kalidas Girls College  
श. कालिदास UJJAIN महाविद्यालय, उज्जैन